

15/12/20

उपखंड अधिकारी को पेश की जा रही है।  
कार्य से बाहर है। अवकाश पर है/पारित है।  
अतः पत्रव्यवस्था दिनांक १५/१२/२० को पेश हो।

उपखंड अधिकारी करे

१/५/५

पत्रावली पेश हुई। वकील डा. वी. ए. उपाध्याय  
में विपरीत जो पूर्व में जारी लम्बा नोटिस  
अपवाद के अन्तर्गत तामील पत्रावली दिनांक  
६/५/२०२० को पेश हो चुका आदेश अभाव  
में है।

उपखंड अधिकारी पदेन  
सहायक क्लर्क करे

16/3/21

नि.पार.पं.  
[Signature]

प्राचीना व उनके अधिकार ने एक प्रार्थना पत्र आज  
दिनांक 16/3/21 को प्रार्थना पत्र कर निवेदन किया  
कि प्राचीना व परिवार सं. ५ व २ के मध्य लोक-  
अदालत की भावना से प्रेडिटर होकर मोटोरान  
व्यक्तियों की समझाइस से शर्जिनाया हो चुका  
है। प्रकरण में अब प्राचीना कोई कार्यवाही  
नहीं चाहती है। प्रकरण की कार्यवाही इसी तरह  
पर पत्रावली शिगह से तलब कडा कार्यवाही  
समाप्त की जावे। प्रकरण शर्जिनाया वाद तस्वीर शाहवादी है।

प्राचीना के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली  
शिगह से तलब की गई। प्रार्थना पत्र में  
वर्णित तलबों से प्रकरणों के मध्य लोक-  
अदालत से प्रेडिटर होकर आपसी शर्जिनाया हो  
जाने से पत्रावली की कार्यवाही इसी तरह  
पर समाप्त की जाती है। पत्रावली के साल  
शुमार होकर दर्ज नम्बर से काम हो। प्रकरण  
पूर्व में जारी स्वयं आदेश स्वतः निरस्त जावे।

उपखंड अधिकारी पदेन  
सहायक क्लर्क करे